


09.10.19 अधिवक्ता कार्यालय (उप०) मूल वाद में  
आज्ञा प्र.पत्र 023R/194 रूबीकार किया  
जाकर मूल वाद को खारिज किया गया  
है। चूंकि मूल वाद खारिज हो जाने से  
अब इस प्रकरण को आगे चलाने की  
कोई आवश्यकता नहीं रही है।

अतः आदेश पत्र 212 R.T. Act. रूबी  
स्टेज पर ड्रेप किया जाकर खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली निसल कुमार होकर नम्बर  
संक्रम है। मूल वाद के संलग्न स्टेज  
निर्णय खुले रजिस्ट्रार सुनाया गया।



  
कार्यपालक दण्ड नायक एवं  
कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रेक)  
वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (संज.)